**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2009**

**दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय भत्ता**

**†2009. श्री टी. आर. बालू:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन पेंशनभोगियों के मासिक चिकित्सा भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है जो सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वयं और आश्रित जीवनसाथी की चिकित्सा आवश्यकताओं को 1000 रुपये प्रति माह की मामूली राशि से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ग): केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनके दैनिक चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) प्रदान किया जाता है। एफएमए में पिछली बार की गई 1000/- रुपये तक की वृद्धि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके अलावा, गैर-सीजीएचएस कवर वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के पास निम्नलिखित विकल्प भी हैं:

i. वे सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधाओं के बदले निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठा सकते हैं।
ii. वे आवश्यक अभिदान देने के बाद निकटवर्ती सीजीएचएस कवर्ड शहर में स्वयं को पंजीकृत कराकर सीजीएचएस (ओपीडी एवं आईपीडी) का लाभ भी उठा सकते हैं।
iii. सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अभिदान देने के बाद उनके पास ओपीडी उपचार के लिए एफएमए और आईपीडी उपचार के लिए सीजीएचएस का लाभ उठाने का विकल्प भी है।

*****